

## न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 137 / 2019

सुनील गहलोत 71 / 192, भैरव पथ, मानसरोवर जयपुर -302020

### बनाम

तहसीलदार ,भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

### आदेश

दिनांक 10.01.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सुनील गहलोत 71 / 192, भैरव पथ, मानसरोवर जयपुर -302020 ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 26.08.2019 के द्वारा तहसीलदार ,भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार ,भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 1051 दिनांक 11.12.2019 से तहसीलदार ,भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार ,भरतपुर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं तहसीलदार ,भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त द्वारा तहसीलदार ,भरतपुर से उक्त सूचनाएं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार ,भरतपुर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है।

तहसीलदार ,भरतपुर से जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार ,भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार ,भरतपुर, को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

